गोपनीय

माननीय मॅत्रिपरिषद के लिए टिप्पणी

विषय– ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति–2017'' निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में सम्मिलित है। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), सॉफ्टवेयर विकास तथा सम्बन्धित सेवाओं के क्षेत्र में भारत की सफलता विश्व स्तर पर स्वीकार की जा चुकी है। राष्ट्रीय घरेलू सकल उत्पाद में आई.टी.–बी.पी.एम. उद्योग का उच्चतम, लगभग 9.3 प्रतिशत योगदान है।

2 उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से ''सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0–2012'' घोषित की गई थी, जिसे तदनन्तर संशोधित कर ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2016'' प्रख्यापित की गई थी।

3 वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन उपरान्त ''उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017'' घोषित की गई है तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप्स के लिए नवीन ''इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति'' तथा ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति'' को रोज़गार परक तथा और अधिक व्यवहारिक बनाये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

4 उत्तर प्रदेश की विद्यमान ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति'' तथा ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति'' में संशोधनों हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनॉक 7 सितम्बर 2017 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक में दोनो नीतियों में वर्तमान प्राविधान तथा संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित प्राविधान के अतिरिक्त उ0प्र0 औद्योगिक नीति–2017 तथा अन्य राज्यों में सम्बन्धित प्राविधानों से अवगत कराया गया।

5 प्रस्तुतिकरण बैठक में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में बी.पी.ओ., आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की सहमति हुई तथा प्रदेश में आईटी/ आईटीईएस इकाईयों की स्थापना हेतु अध्ययन कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति को और अधिक व्यवहारिक तथा रोजगार–परक बनाये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये।

6 ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति'' तथा ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति'' में संशोधनों हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनॉक 7 सितम्बर 2017 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक–1 पर प्रस्तुत है।

7 दिनॉक 7 सितम्बर 2017 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक में प्राप्त निर्देशों एवं सुझावों को समाविष्ट करते हुए ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017'' के मुख्य प्राविधान निम्नवत् हैः–

ब्याज उपादान

- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।

स्टाम्प शुल्क

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के उपयोगार्थ भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने पर स्टाम्प शुल्क फीस में इस प्रतिबन्ध सहित शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी कि 3 वर्षो के भीतर परिचालन प्रारम्भ हो जाये।

विद्युत शुल्क में छूट

- नई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाईयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि तक, विद्युत ड्यूटी से शत प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

- परिचालन आरम्भ होने के पश्चात, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवॅ निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 5 वर्षों तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा रू 20 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

- राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों द्वारा सुरक्षा एवं क्वालिटी हेतु प्रमाणीकरण पर अधिकतम 3 सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रू 25,00,000/–, अनुमन्य होगी।

रिक्रूटमेंट सहायता

- सोपान–2 (Tier-II) और सोपान–3 (Tier-III) नगरों में अवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से न्यूनतम 50 नये सूचना प्रौद्योगिकी–बी.पी.एम. पेशेवरों की वार्षिक भरती हेतु रू 20,000 प्रति कर्मी की दर से (न्यूनतम 6 माह तक निरन्तर रोजगार की दशा में) रिक्रूटमेंट सहायता।

पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

- शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए,घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

भूमि हेतु प्राविधान

- प्रति एकड़ भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रू 15,000/– की

दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (reimbursement) की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक है। यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों (State agencies) से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेकटर दरों पर प्रदान की जायेगी।

बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन

उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयॉं निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगीः–

- **पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल** में रू 20 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज रेन्टल चार्जेस की 50 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
- **विद्युत उपादानः** विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत उपादान जिसकी अधिकतम सीमा रू 50 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।
- **इण्डिया बी.पी.ओ. प्रोमोशन स्कीम हेतु** राज्य सरकार द्वारा बी.पी.ओ. इकाइयों को इण्डिया बी.पी.ओ. प्रोमोशन योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक सीट हेतु निहित पूँजीगत व्यय पर, 50 प्रतिशत पूँजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

आईटी पार्क्स : निम्नवत् दो नये मॉडल पर आईटी पार्क्स विकसित करने हेतु अनुमति

- प्रतिष्ठित राजकीय संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम और समकक्ष राजकीय संस्थान के सहयोग से
- निष्पक्ष चयन प्रकिया द्वारा चयनित, निजी क्षेत्र के निवेशको/विकासकर्ता के सहयोग से

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन (Additional Incentives available to MSME IT/ITeS Units)

पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रू 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/ रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

विद्युत उपादान

- एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयॉं, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा रू 30 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

केस–टू–केस आधारित प्रोत्साहन (Incentives on Case to Case basis)

- मेगा परियोजनाओं हेतु केस–टू–केस आधार पर **सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा में मेगा निवेश करने हेतु तथा 'रेडी टू मूव इन' सुविधा** को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान–2 व सोपान–3 के नगरों में 05 एकड़ के क्षेत्र से

अधिक को आईटी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए विकासकर्ता को केस–टू–केस आधार पर प्रोत्साहन निम्नानुसार अनुमन्य होंगे।

पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक		
श्रेणी	सोपान–1	सोपान–2 व 3
मेगा इकाई	रु 100 से रु 200 करोड़ का निवेश अथवा 2500 व्यक्तियों को रोजगार	रु 50 से रु 100 करोड़ का निवेश अथवा 1000 व्यक्तियों को रोजगार
मेगा प्लस इकाई	रु 200 करोड़ से अधिक का निवेश अथवा 5000 व्यक्तियों को रोजगार	रु 100 करोड़ से अधिक का निवेश अथवा 2000 व्यक्तियों को रोजगार

इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरकों (Incubator/Accelerator) की स्थापना हेतु निम्न प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है:–

- **पूँजीगत उपादान** :शासकीय मेजबान संस्थानों की स्थिति में टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट–अप के 75 प्रतिशत की सीमा तक तथा अन्य मेजबान संस्थानों की स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा तक पूँजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम धनराशि रू 1 करोड़ होगी। यही सीमा विद्यमान इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरकों को क्षमता विस्तार की स्थिति में उनके सुदृढ़ीकरण हेतु लागू होगी। यदि उपादान धनराशि में वृद्धि की आवश्यकता हो तो उस पर सशक्त समिति द्वारा केस–टू–केस आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

- **परिचालन व्यय** : इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरकों को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रू 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

- **स्थान के लीज / रेन्टल में छूट** : इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरक जिस स्थान पर परिचालन– रत हों उसके लीज / रेन्टल शुल्क के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जिसकी सीमा रू 10 लाख प्रति वर्ष होगी, 5 वर्ष अथवा स्व–निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- **अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति**: इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरक, भूमि / कार्यालय के लिए जगह / इमारत क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने हेतु, प्रथम ट्रॉजेक्शन पर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

- **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति** : पात्र इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

* **मेन्टर्स के लिए मानदेय** : इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक से सम्बद्ध, प्रति परामर्शदाता/ उपदेशक (mentors) रू 2 लाख मानदेय प्रदान किया जायेगा। यह सहायता कोचिंग, पथ–प्रदर्शन, यात्राओं, अस्थायी–आवास इत्यादि व्ययों के निमित्त होगी। इसके अतिरिक्त कोच (Coach) का भी चयन किया जायेगा जो कि स्थानीय परितंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो।

* **विशेषज्ञों का पैनल** : एक विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्व किया जायेगा जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि विधिक, वित्तीय, निवेशक, विपणन एवं लेखा इत्यादि से होगे। इनके द्वारा दी गयी सेवायें स्टार्ट–अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

* **उत्कृष्टता के केन्द्र (Centers of Excellence)** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उत्कृष्टता के केन्द्र को अधिकतम 5 वर्ष तक अधिकतम रु 10 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित हैं) प्रदान की जायेगी।

स्टार्ट–अप्स तथा उद्यमियों हेतु प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश में अवस्थित इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों में कार्यरत स्टार्ट–अप्स, निम्नलिखित प्रोत्साहन के पात्र होंगेः–

* **परिकल्पना स्तर (Idea Stage)**: परिकल्पना स्तर पर स्टार्ट–अप्स को एक वर्ष की अवधि तक रू 15,000/– प्रतिमाह का भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा।
* **प्रायोगिक स्तर (Pilot Stage)**: स्टार्ट–अप्स को रू 10 लाख की सीमा तक की सहायता, विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता के रूप में उनके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए प्रदान की जायेगी।
* **पेटेन्ट फाइलिंग लागत (Patent Filing cost)**: इन्क्यूबेट हुई स्टार्ट–अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 2,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।
* उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक त्रैमास **स्टार्ट–अप मेला** आयोजित किये जायेंगे, जिसमें राज्य सरकार/विभागों/अभिकरणों/संगठनों इत्यादि द्वारा इंगित कठिनाइयों (दिन–प्रतिदिन आधार पर आने वाली चुनौतियों) के अभिनव समाधान सुझाने हेतु स्टार्ट–अप्स को आमंत्रित किया जायेगा।
* चयनित स्टार्ट–अप्स को **उत्तर प्रदेश आविष्कार पुरस्कार** दिये जायेंगे, साथ ही सम्बन्धित विभाग में, उनके समाधानों के समय–बद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु अधिकतम रू 50 लाख तक का वित्तपोषण किया जायेगा।
* उत्तर प्रदेश के स्टार्ट–अप्स को **राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मंचों में प्रतिभाग/ आयोजन हेतु** रू 50,000/– की प्रायोजन सहायता प्रदान की जायेगी।
* स्टार्ट–अप की परिभाषा को **भारत सरकार द्वारा निर्धारित** स्टार्ट–अप की परिभाषा के अनुरूप किया जाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्ट–अप के साथ–साथ प्रौद्यागिकी समर्थित अन्य क्षेत्रों के स्टार्ट–अप पर अनुमन्यता।

- **स्टार्ट–अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स को विभिन्न गैर–वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होगें जैसे कि** अधिनियमों और उनके अधीन नियमों (eg The Factories Act, The Shops & Establishments Act, Payment of Wages Act etc) के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट, **महिलाओं सहित, सभी तीन पालियों मे** कार्य करने की अनुमति इत्यादि।

फण्ड ऑफ फण्ड्स

- स्टार्ट–अप कॉर्पस फण्ड की सीमा रू 100 करोड़ से बढ़ाकर रू 1000 करोड़ किया जाना।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू 1000 करोड़ के स्टार्ट–अप फण्ड की स्थापना द्वारा, स्टार्ट–अप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जायेगी।
- फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट–अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

8– उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्बन्धित विभागों का अभिमत निम्नवत् हैः–

(i) वित्त विभाग का अभिमतः–

"प्रस्तावित नीति के अधीन नई इकाईयों को स्थापित करने के लिए भूमि आंवटित करने के संबंध में प्रदेश में प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरणों (नोएडा/ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण) तथा यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित छूट पर भूमि आवंटित की जायेगी जिसका व्यय भार उक्त संस्थाएं स्वयं वहन करेंगी। ऐसे मामले जहॉ नये सिरे से भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात् इकाई को भूमि उपलब्ध कराई जाती है, उस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर भूमि दरों में छूट दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

स्टार्ट–अप्स को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कार्पस फण्ड (रू0–100.00 करोड़) की स्थापना उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट नीति–2016 के अधीन हुई है। उक्त फण्ड के पूर्ण उपयोग की स्थिति में कार्पस फण्ड में वृद्धि किये जाने पर सहमति है।

प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2017' के अन्य बिन्दुओं पर वित्त विभाग की अनापत्ति है।"

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का अभिमतः–

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश का अभिमत	वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश के अभिमत के सापेक्ष आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का अभिमत
"प्रस्तावित नीति के अधीन नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (नोएडा/ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण) तथा यू.पी.एस. आई.डी. द्वारा प्रस्तावित छूट पर भूमि आवंटित की जायेगी जिसका भार उक्त संस्थाएं स्वयं वहन करेंगी। ऐसे मामले जहॉ नये सिरे से भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात इकाई को भूमि उपलब्ध कराई जाती है, उस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर भूमि दरों में छूट दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स का अभिमत, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश के अभिमत से सहमत है। तथापि इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।

स्टार्ट–अप्स को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कार्पस फण्ड (रू 100.00 करोड़) की स्थापना उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–नीति–2016 के अधीन हुई है। उक्त फण्ड के पूर्ण उपयोग की स्थिति में कार्पस फण्ड में वृद्धि किये जाने पर सहमति है।	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश के अभिमत से सहमत है।
प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2017' के अन्य बिंदुओं पर वित्त विभाग की अनापत्ति है।	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश के अभिमत से सहमत है।

(2) **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का अभिमत :–**
"भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों से नहीं की जायेगी। यह व्यवस्था विभाग अपने बजट से कराने पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग की अनापत्ति है।"

(3) **स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का अभिमतः–**
"कर एवं निबंधन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–7–79/11–2012–312(98)/2012 दिनांक 05–12–2012 के प्रस्तर 5.1.1 (क), (ख) व (ग) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोजन एवं विवरण के अनुसार लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने में अनापत्ति प्रदान की गई है।"

(4) **वाणिज्य कर विभाग का अभिमत :–**
"वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिन्दु न होने के कारण कोई अभिमत अंकित किया जाना अपेक्षित नहीं है।"

(5) **न्याय विभाग का अभिमत**
"मा0 मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत की जानी वाली टिप्पणी नीतिगत एवं वित्तीय विषयक है। न्याय विभाग के द्वारा उक्त प्रस्तावित मा0 मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी पर अनापत्ति व्यक्त की जाती है।"

(6) **ऊर्जा विभाग का अभिमतः–**

उत्तर प्रदेश कारपोशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत'–

टिप्पणी के बिन्दु में विद्युत विभाग से संबंधित अंश	ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 के अभिमत के सापेक्ष आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, का अभिमत
विद्युत शुल्क में छूटः– नई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाईयों को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि तक, विद्युत ड्यूटी से शत–प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। पार्श्वकित बिन्दु में उद्धृत अंश पर विभाग की सहमति है तथापि अन्तिम अभिमत विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा लिया जाना उचित होगा।	विगत में मा. उ0प्र0 नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर बीजक में छूट के संबंध में विभागों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कष्टप्रद अनुभवों के दृष्टिगत, वितरण निगम मा0 आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पूर्ण बीजक की धनराशि इकाईयों से प्राप्त करेंगे तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उनके द्वारा बिद्युत बीजकों पर अनुमन्य छूट की धनराशि सीधे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाईयों को अवमुक्त करेगा।
बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहनः– विद्युत उत्पादन–विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत उपादान जिसकी अधिकतम	तदैव

सीमा रू0 50 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होगी। विगत में मा. उ0प्र0 नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर बीजक में छूट के कसंबंध में विभागों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कष्टप्रद अनुभवों के दृष्टिगत, वितरण निगम मा0 आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पूर्ण बीजक की धनराशि इकाईयों से प्राप्त करेंगे तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उनके द्वारा बिद्युत बीजकों पर अनुमन्य छूट की धनराशि सीधे सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाईयों को अवमुक्त करेगा।	
विद्युत उत्पादनः– एम0एस0एम0ई0 सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाईयां, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 30 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।	तदैव
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्तिः– पात्र. इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। पार्श्वांकित बिन्दु में उद्धृत अंश पर विभाग की सहमति है तथापि अन्तिम अभिमत विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा लिया जाना उचित होगा।	तदैव

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराया गया अभिमत

टिप्पणी के बिन्दु में विद्युत विभाग से संबंधित अंश	आई0टी0 एवं इले0 विभाग का अभिमत / परामर्श
विद्युत शुल्क में छूटः– नई सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाईयों को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि तक, विद्युत ड्यूटी से शत–प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1952 की धारा–3(4) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार, लोक हित में किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्भरण के लिए वर्तमान मूल्यों को किसी संयंत्र की विद्युत जनन क्षमता को औद्योगिक उत्पादन की सामान्यता अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता के , और किसी अन्य सुसंगत बात को	विगत में मा. उ0प्र0 नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर बीजक में छूट के कसंबंध में विभागों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कष्टप्रद अनुभवों के दृष्टिगत, वितरण निगम मा0 आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पूर्ण बीजक की धनराशि इकाईयों से प्राप्त करेंगे तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उनके द्वारा बिद्युत बीजकों पर अनुमन्य छूट की धनराशि सीधे सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाईयों को अवमुक्त करेगा।

ध्यान में रखते हुए, या तो एनेर्जी के विभिन्न वर्गो के उपभोग के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है।	
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति–पात्र इन्क्यूबेटर्स / उत्प्रेरकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नियमावली 1952 के नियम 3(8) में निम्न व्यवस्था दी गयी है। ''यदि अधिनियम के अधीन देय ड्यूटी ब्याज या शस्ति की धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दी जाय तो यह लाइसेंसी नियुक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक समायोजित नहीं की जायेगी तब तक की उपविद्युत निरीक्षक ड्यूटी, ब्याज या शस्ति की ऐसी जमा की गयी धनराशि के लिए लिखित रूप से स्वीकृत न दें।'' उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्त 1952 निम्न में धारा का प्राविधान किया गया है। 10(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञाप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। 10(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती हैः– 10(2)झ कोई अनय विषय जिसे नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके। 10(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रकिमक सत्रों में कुल 14 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक की काई वाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिस्कारों या अभिशून्यनयनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विद्यान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के	तदैव

लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिस्कार या अभिशून्यन का सबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा। इस प्रकार उपरोक्त नियम–3(8) के अन्तर्गत अधिक जमा की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वापसी उपविद्युत निरीक्षक के लिखित स्वीकृत के बाद दिये जाने का प्राविधान किया गया है, लेकिन जमा की गयी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वापसी अथवा अवमुक्त अन्य विभाग से कराने पर धारा–10 के अन्तर्गत राज्य सरकार को उ0प्र0 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नियमावली 1952 के नियम में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।	

(7) श्रम विभाग का अभिमतः–

सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017 निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्तावित 07 श्रम अधिनियमों में बिन्दु संख्या–1 से 06 तक श्रमायुक्त संगठन से संबंधित है तथा बिन्दु संख्या–7 सेवायोजन कार्यालय से संबंधित है जो निम्न हैः–

(1) कारखाना अधिनियम।
(2) मातृत्व लाभ अधिनियम।
(3) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम।
(4) संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम।
(5) पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम।
(6) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।
(7) सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम।

श्रम विभाग द्वारा निम्न प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया हैः–

4 (i) श्रम विभाग द्वारा नवीन निरीक्षण प्रणाली एवं स्वप्रमाणन से संबंधित शासनादेश दिनांक 28–07–2017 के अन्तर्गत श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों को स्वप्रमाणन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने पर 05 वर्ष के अन्दर एक बार निरीक्षण करने का प्राविधान किया गया है। किसी भी औद्योगिक अधिष्ठान को निरीक्षण से पूर्णतः छूट प्रदान नहीं की गयी है। वर्तमान निरीक्षण प्रणाली विषयक शासनादेश के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को निरीक्षण से पूर्ण छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4 (ii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन प्रतिदिन 24 घण्टे(तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी तीनों पालियों में महिलाओं को कार्य के करने के संबंध में श्रम अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये गये है, संशोधन होने के उपरान्त ही ऐसा सम्भव हो सकेगा।

4 (iii) उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022 के खण्ड स्टार्ट–अप के लिए प्रोत्साहन बिन्दु सं0 8.5 अन्तर्गत स्वप्रमाणन प्रस्तुत करने पर स्टार्ट–अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स इकाईयों को कारखाना अधिनियम, मातृत्व हित लाभ अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, संविदा श्रम विनियमन एवं उत्सादन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम में निरीक्षण से छूट किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि नवीन निरीक्षण प्रणाली वासूप्रमाणन व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 28–07–2017 के अन्तर्गत स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित होने वाली इकाईयों को स्वप्रमाणन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने पर 03 वर्ष तक निरीक्षणों से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अतः यह उचित होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी 2017–2022 के अन्तर्गत भी स्टार्ट–अप इकाईयों को स्वप्रमाणन व्यवस्था अपनाने पर 03 वर्ष तक निरीक्षण से छूट प्रदान करने की अभिमत दिया जाय।

4 (iv) स्टार्ट–अप इकाईयों में महिलाओं सहित सभी तीन पालियों में श्रम विधानों के अनुसार कल्याणकारी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ–साथ कार्मिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के उपरान्त परिचालन के संबंध में संबंधित श्रम अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये गये है, संशोधन होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेंगा।

<u>आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का अभिमतः–</u>

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश का अभिमत	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिमत के सापेक्ष निगम का अभिमत
(i.) श्रम विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत नवीन निरीक्षण प्रणाली एवं स्वप्रमाणन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 28.07.2017 के अन्तर्गत श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयों को स्वप्रमाणन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने पर 05 वर्ष के अन्दर एक बार निरीक्षण करने का प्राविधान किया गया है। किसी भी औद्योगिक अधिष्ठान को निरीक्षण से पूर्णतया छूट प्रदान नहीं की गयी है।वर्तमान निरीक्षण प्रणाली विषयक शासनादेश के कम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को निरीक्षण से पूर्ण छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स का अभिमत, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिमत से सहमत है।
(ii.) सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन प्रतिदिन 24 घण्टे (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी पालियों में महिलाओं को कार्य करने के सम्बन्ध में संबंधित श्रम अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, संशोधन होने के उपरांत ही ऐसा सम्भव हो सकेगा।	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स का अभिमत, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिमत से सहमत है।
(iii.) उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के स्टार्ट अप के लिए प्रोत्साहन के बिन्दु के संबंध में स्वप्रमाणन प्रस्तुत करने पर स्टार्टअप्स तथा इन्क्यूबेटर्स इकाइयों को कारखाना अधिनियम, 1948 मातृत्व हितलाभ अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम,	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स का अभिमत, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिमत से सहमत है।

	संविदा श्रम अधिनियम, के अंतर्गत निरीक्षणों से छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि नवीन निरीक्षण प्रणाली व स्वप्रमाणन व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 28.07.2017 के अन्तर्गत स्टार्ट अप नीति के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों को स्वप्रमाणन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने पर तीन वर्ष तक निरीक्षणों से छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गयी है। अतः उचित होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के अन्तर्गत भी स्टार्टअप इकाइयों को स्वप्रमाणन व्यवस्था अपनाने पर 03 वर्ष तक निरीक्षण से छूट प्रदान करने का अभिमत दिया जाये।	
(iv.)	स्टार्टअप इकाइयों में महिलाओं सहित सभी तीन पालियों में श्रम विधानों के अनुसार कल्याणकारी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ–साथ कार्मिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के उपरान्त परिचालन के संबंध में संबंधित श्रम अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, संशोधन होने के उपरंत ही ऐसा सम्भव होगा।	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स का अभिमत, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिमत से सहमत है।

9– प्रस्तुत टिप्पणी को मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय मंत्री जी के रूप में अवलोकित कर लिया गया है।

10– ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017'' में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

11– अतः संलग्नक–2 पर प्रस्तुत ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017'' में समस्त विभागों के अभिमत को सम्मलित कर लिया गया है, जिस पर मा. मंत्रि परिषद का अनुमोदन निवेदित है साथ ही यह भी निवेदित है कि नीति के कियान्वयन हेतु यदि कठिनाई आती है तो उसके निराकरण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया जाय।

12– उपरोक्त प्रस्तर–7 एवं प्रस्तर–11 पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित है।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

पत्रावली सॅख्या– 25 / 2012
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1
लखनऊः दिनॉकः08 दिसम्बर, 2017

संलग्नक–1

मा. मुख्यमंत्री जी के समक्ष आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में दिनाँक 7 सितम्बर 2017 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थिति संलग्नानुसार

''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति'' तथा ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति'' में संशोधनों हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दोनो नीतियों में वर्तमान प्राविधान तथा संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित प्राविधान के अतिरिक्त उ0प्र0 औद्योगिक नीति–2017 तथा अन्य राज्यों में सम्बन्धित प्राविधान से अवगत कराया गया। उक्त पर चर्चा के क्रम में निम्नवत मत स्थिर किया गया।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी नीति से सम्बन्धित बिन्दु</u>

(i) **ब्याज उपादान**– 5 प्रतिशत, 7 वर्ष तक अधिकतम रू. 01 करोड़ प्रति वर्ष को यथावत रखने पर सहमति हुई।

(ii) **स्टाम्प ड्यूटी छूट** – शत् प्रतिशत छूट को यथावत रखने पर सहमति हुई।

(iii) **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट** – शत् प्रतिशत छूट 05 वर्ष तक के स्थान पर उ0प्र0 औद्योगिक नीति–2017 के अनुरूप 10 वर्षो तक छूट पर सहमति हुई।

(iv) **प्रमाणीकरण हेतु अनुदान** – अधिकतम 3 प्रमाणीकरण हेतु रु 25 लाख की वित्तीय सीमा को यथावत रखने पर सहमति हुई।

(v) **उ0प्र0 के मूल निवासियों के लिये भविष्य निधि की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति,** अधिकतम रु 20 लाख प्रति वर्ष, 5 वर्ष तक यथावत रखने पर सहमति हुई।

(vi) **आई0टी0 इकाईयों को प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत छूट**

- प्रचलित सेक्टर दरों पर अनुमन्य छूट दिये जाने पर इस दशा में सहमति हुई कि निवेशको को निर्धारित रोजगार सृजन/प्रति कार्मिक के आधार पर छूट अनुमन्य होगी।
- सरकारी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।

(vii) **एम.एस.एम.ई. (रू. 25 करोड़ से कम टर्न ओवर) की आई.टी./आई.टी.ई.एस. इकाइयों एवं इन्क्यूबेटर्स के लिए विशेष प्रोत्साहन :**

- 25 प्रतिशत लीज रेन्टल में छूट, अधिकतम सीमा 10 लाख प्रतिवर्ष, 3 वर्ष तक तथा इन्क्यूबेटर्स को 05 वर्ष तक, यथावत रखने पर सहमति हुई।
- ऊर्जा में 25 प्रतिशत छूट, 3 वर्ष तक, अधिकतम सीमा रु 30 लाख को यथावत रखे जाने पर सहमति हुई।

(viii) **<u>केस–टू–केस आधार पर रू. 200 करोड़ से अधिक के निवेश पर विशेष प्रोत्साहन</u>** आई0टी0 इकाई द्वारा रु 200 करोड़ से अधिक के निवेश पर केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन तथा 5 एकड़ से अधिक के आई0टी0 पार्क की टीयर–2 तथा टीयर–3 नगरों में स्थापना करने वाले डेवलपर, जिसे

आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर में 10 एकड़ भूमि/रू 200 करोड़ निवेश का अनुभव हों, को केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन के प्राविधानों को निम्नवत संशोधित किये जाने पर सहमति हुई।

- मेगा आई0टी0 इकाई को केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन।
- मेगा इकाई की परिभाषा उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति–2017 के अनुरूप मेगा, मेगा प्लस तथा सुपरमेगा (**निवेश, क्षेत्रवार तथा रोजगार सृजन के आधार पर**)।
- 5 एकड़ से अधिक के आई0टी0 पार्क की टीयर–2 तथा टीयर–3 नगरों में स्थापना करने वाले डेवलपर को केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन।

(ix) **आईटी पार्क्स की स्थापना के वर्तमान प्राविधानित 04 माडल्स है।**

- विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं विकसित
- एस.टी.पी.आई. द्वारा विकसित (भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाती है)
- पी.पी.पी. आधार पर निजी विकासकर्ता के साथ
- संयुक्त क्षेत्र (Joint Venture) के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण तथा निजी विकासकर्ता द्वारा

  आईटी पार्क की स्थापना के उपरोक्त चार माडल्स के अतिरिक्त निम्नवत दो विकल्प और सम्मिलित किये जाने पर सहमति हुई।
- प्रतिष्ठित राजकीय संस्थानों (जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एम. और समकक्ष राजकीय संस्थान इत्यादि) के सहयोग से आईटी पार्क्स की स्थापना।
- निष्पक्ष चयन प्रकिया द्वारा चयनित, निजी क्षेत्र के निवेशकों/विकासकर्ता द्वारा आईटी पार्क्स की स्थापना।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संशोधित आलेख में निम्नवत दो नये प्राविधानों को सम्मिलित किये जाने पर भी सहमति हुई।

1. नवीन प्राविधानः

बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में बी.पी.ओ., आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना पर उपरोक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रोत्साहन अनुमन्य होगे :–

- 50 प्रतिशत लीज रेन्टल, अधिकतम सीमा रू 20 लाख प्रतिवर्ष, 3 वर्ष तक
- ऊर्जा में 50 प्रतिशत छूट, 3 वर्ष तक, अधिकतम कुल सीमा रु 50 लाख
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट – शत् प्रतिशत 10 वर्ष तक
- बी0पी0ओ0 की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा देय पूँजीगत अनुदान का 50 प्रतिशत प्रति सीट

2. नवीन प्राविधानः

- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना हेतु अनुदान की व्यवस्था।

  (स्थापना हेतु रू 10 करोड़ अथवा अधिक, विचार–विमर्श कर अभिमत स्थिर किया जायेगा)

प्रदेश में आईटी/आईटीईएस इकाईयों की स्थापना हेतु अध्ययन कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति को और अधिक व्यवहारिक तथा रोजगार–परक बनाये जाने पर सहमति हुई।

स्टार्ट–अप नीति से सम्बन्धित बिन्दु

- **वर्तमान नीति में स्टार्ट–अप की परिभाषा को** भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्टार्ट–अप की परिभाषा के अनुरूप कर दिया जाये तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधन, की स्वतः अनुमन्यता पर सहमति हुई।
- सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्ट–अप्स के साथ–साथ प्रौद्योगिकी समर्थित अन्य क्षेत्रों के स्टार्ट–अप्स की अनुमन्यता पर भी सहमति हुई।
- शासकीय संस्थानों के साथ–साथ, भारत सरकार की नीति की भाँति, निजी क्षेत्र के संस्थानों को इन्क्यूबेटर स्थापना हेतु प्रोत्साहन पर सहमति हुई।
- स्टार्ट–अप कॉर्पस फण्ड की सीमा रु 100 करोड़ को बढ़ा कर रु 1000 करोड़ किये जाने पर सहमति हुई। इस हेतु उत्तर प्रदेश शासन का सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर कार्पस फण्ड की स्थापना की जायेगी।
- स्टार्ट–अप परिदृश्य का पुनः अध्ययन करके स्टार्ट–अप नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाये जाने पर सहमति हुई जिसमें इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु प्रारम्भिक पूँजीगत अनुदान की सीमा को बढ़ाये जाने पर भी विचार किया जाये।

इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति से सम्बन्धित बिन्दु

अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक विनिर्माण नीति के समस्त प्रोत्साहन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के अन्दर स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु ही अनुमन्य हैं। इस कारण प्रदेश में गत 3 वर्षो में इस क्षेत्र में देश–विदेश के निवेशकों द्वारा बड़ी संख्या में रूचि दिखाने के उपरान्त भी विभिन्न कारणों से पर्याप्त निवेश प्राप्त नही किया जा सका।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त वृहद स्तर पर देश–विदेश की प्रतिष्ठित इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयों की सरलता से स्थापना के लिये सम्पूर्ण नोयडा, ग्रेटर नोयडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को 'इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' (ई.एम.जेड.) को उद्घोषित किये जाने पर सहमति हुई। उक्त के दृष्टिगत इस क्षेत्र (ई.एम.जेड.) में स्थापित होने वाली इकाईयों की स्थापना के लिये निम्नवत प्रोत्साहन अनुमन्य होगें :–

(i) **पूँजी उपादान** –

- 15 प्रतिशत, अधिकतम रू 5 करोड़ को यथावत रखने पर सहमति हुई।
- मेगा प्रोजेक्ट में केस टू केस आधार पर (रू0 200 करोड़ से अधिक निवेश) पूँजी उपादान की अधिकतम सीमा को शिथिल किया जा सकता है, के प्राविधान को इस शर्त के साथ यथावत रखा गया है कि इस मद में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा रू 150 करोड़ होगी।

(ii) **ब्याज उपादान**

- 5 प्रतिशत, 7 वर्ष तक, अधिकतम रू 1 करोड़ प्रति वर्ष को यथावत रखने पर सहमति हुई तथा मेगा प्रोजेक्ट में (रू0 200 करोड़ से अधिक निवेश) ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा को शिथिल किया जा सकता है, को यथावत रखने पर भी सहमति हुई।

(iii) **स्टाम्प ड्यूटी पर छूट –**

- ई.एस.डी.एम. इकाइयों हेतु 100 प्रतिशत छूट को यथावत् रखने पर सहमति हुई।

  इसके अतिरिक्त निम्न प्राविधान सम्मिलित किये जाने पर भी सहमति हुई।
- इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्क्स हेतु प्रथम ट्रांजेक्शन पर 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन पर 50 प्रतिशत की छूट **(उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति–2017 के अनुरूप)**

(iv) **पेटेन्ट फाइलिंग हेतु अनुदान–**

- वर्तमान प्राविधान 50 प्रतिशत के स्थान पर शत प्रतिशत के अनुदान पर सहमति हुई तथा
- देश में फाइलिंग के लिए प्रत्येक पेटेन्ट हेतु रू 1 लाख के स्थान पर 5 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय फाइलिंग के लिए प्रत्येक पेटेन्ट हेतु रू. 5 लाख के स्थान पर रू 10 लाख पर भी सहमति हुई।

(v) **स्टेट जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति –**

- स्थिर पूँजी निवेश (भूमि के मूल्य के अतिरिक्त) की 100 प्रतिशत की सीमा तक, 10 वर्षो की अवधि तक, जो भी पहले हो, स्टेट जी.एस.टी. की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति को, यथावत रखने पर सहमति हुई।

(vi) **भूमि हेतु प्राविधान**

- इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) के अन्दर स्थित कम्पनियों को सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट को यथावत रखने पर इस दशा में सहमति हुई कि इसमें ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाईयों को भी सम्मिलित कर लिया जाये तथा सरकारी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जाये। उक्त के अतिरिक्त
- फ्लोर एरिया रेशियो को 3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) किये जाने पर सहमति हुई तथा
- न्यूनतम 50 एकड़ भूमि क्षेत्र में 30 प्रतिशत के कुल फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं यथा कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज, कैण्टीन, डिस्पेन्सरी आदि की अनुमति पर भी सहमति हुई।

(vii) **केस–टू–केस आधार पर रू 200 करोड़ से अधिक निवेश पर विशेष प्रोत्साहन विकल्प 1:**

- रू 200 करोड़ – रू 300 करोड़ के निवेश पर पूँजी उपादान और ब्याज उपादान में केस टू केस आधार पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोंपरान्त शिथिलता दिये जाने के वर्तमान प्राविधान को इस दशा में यथावत रखे जाने पर सहमति हुई कि इसमें न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन के अतिरिक्त प्राविधान को भी सम्मिलित कर लिया जाये।
- रू 300 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन, ई.पी.एफ, ई.एस.आई. प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भूमि पर छूट, ऊर्जा, इत्यादि के प्राविधान को इस दशा में यथावत रखे जाने पर सहमति हुई कि इसमें न्यूनतम 1500 रोजगार सृजन के अतिरिक्त प्राविधान को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

विकल्प 2:

- रू 200 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले इकाईयों को स्थिर पूँजी निवेश के अधिकतम 200 प्रतिशत की सीमा, अथवा 10 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले हो, को स्टेट जी.एस.टी. की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति को यथावत रखने पर इस शर्त के साथ सहमति हुई कि इसमें न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन का अतिरिक्त प्राविधान भी सम्मिलित कर लिया जाये।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, केवल "स्टाम्प ड्यूटी", "भूमि हेतु प्राविधान", "ई.एम.सी. अवस्थापना सहायता" तथा "गैर वित्तीय प्रोत्साहन" की अनुमन्यता को यथावत रखने पर सहमति हुई।

उक्त के अतिरिक्त नवीन प्राविधान को सम्मिलित किये जाने पर भी सहमति हुई :

प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क

- न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्र पर अनुमन्य
- सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय भूमि की प्रचलित सेक्टर दर पर 25 प्रतिशत छूट की अनुमन्यता
- विकासकर्ता को वाह्य अवस्थापना अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाना
- सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा सिंगिल विन्डो सहायता तथा प्रत्येक पार्क हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना।
- वार्षिक ब्याज का अधिकतम 60 प्रतिशत तक उपादान, 7 वर्ष तक, अधिकतम रु 10.00 करोड़ प्रतिवर्ष सामान्य सुविधाओं (सड़क, बिजली, जल, डॉरमिटरीज इत्यादि) के विकास हेतु अधिकतम रू 50 करोड़
- स्टाम्प ड्यूटी छूट: प्रथम ट्रांजेक्शन पर 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन पर 50 प्रतिशत

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 की वैधता **31 मार्च 2022 तक इस दशा में किये जाने पर सहमति हुई कि इस अवधि में इकाईयों को दिये जाने वाले समस्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा** (फैब इकाई के अतिरिक्त) **रू 20,000 करोड़** होगी, जो भी पहले समाप्त हो, पर सहमति हुई।

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना हेतु अध्ययन कर इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक क्षेत्र की इकाईयों की आवश्यकतानुसार उच्च कौशल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण अनुदान (उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में), फैब इकाई इत्यादि अन्य प्राविधानों को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में सम्मिलित कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्यवहारिक बनाये जाने पर भी सहमति हुई।

बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 स्टार्ट–अप नीति तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में आवश्यकतानुसार संशोधन कर तत्काल सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर दोनो नीतियों की उद्घोषणा की जाये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवँ इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1
सॅख्या–821/78–1–2017–25/2012
लखनऊ: दिनॉक: 18 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 2017

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1 मा. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स राज्यमंत्री जी
2 श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3 श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0
4 श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0
5 श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
6 श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0
7 श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0
8 श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
9 श्री मृत्युॅजय नारायण, सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
10 डॉ0 आदर्श सिंह, विशेष सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
11 श्री .... विशेष सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0
12 श्री अखिलेश कुमार, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0
13 श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक, यूपीएलसी
14 नीति कार्यान्वियन इकाई (के.पी.एम.जी.) के कन्सल्टेण्ट

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1
संख्या–821/78–1–2017–25/2012
लखनऊः दिनांक 18 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2017

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में दिनॉक 7 सितम्बर 2017 को किये गये प्रस्तुतिकरण बैठक में उपस्थिति

1 मा. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स राज्यमंत्री जी
2 श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3 श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0
4 श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0
5 श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
6 श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0
7 श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0
8 श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
9 श्री मृत्युँजय नारायण, सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
10 डॉ0 आदर्श सिंह, विशेष सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
11 श्री .... विशेष सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0
12 श्री अखिलेश कुमार, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0
13 श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक, यूपीएलसी
14 नीति कार्यान्वयन इकाई (के.पी.एम.जी.) के कन्सल्टेण्ट

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति

2017 – 2022

अनुक्रमणिका

1 परिचय

2 परिकल्पना, लक्ष्य एवं उद्देश्य

3 विभाग की महत्वाकॉक्षी योजनायें

4 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

5 स्टार्ट–अप्स के लिए प्रोत्साहन

6 शब्दावली

परिचय

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), सॉफ्टवेयर विकास तथा सम्बन्धित सेवाओं के क्षेत्र में भारत की सफलता विश्व स्तर पर स्वीकार की जा चुकी है। राष्ट्रीय घरेलू सकल उत्पाद में आई.टी.–बी.पी.एम. उद्योग का उच्चतम, लगभग 9.3 प्रतिशत योगदान है। भारत, 4750 से अधिक स्टार्ट–अप इकाइयों सहित, वैश्विक रूप से तीसरा बड़ा स्टार्ट–अप हब बन चुका है। भारत आई.टी.–बी.पी.एम. तथा स्टार्ट–अप परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाता रहा है। इस दिशा में, उत्तर प्रदेश द्वारा **आई.टी.–बी.पी.एम. उद्योग तथा स्टार्ट–अप परितंत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा मानव शक्ति के विकास तथा प्रभावी नीतिगत उपायों पर** निरन्तर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति का ध्येय परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्भावनाओं का दोहन करना है, जिसका लाभ पर्याप्त रोजगार सृजन, नव–प्रवर्तन तथा समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के रूप में प्राप्त हो सके।

एक समर्थक नीतिगत वातावरण का सृजन तथा इन नीतियों को धरातल पर लाने के लिए सक्रिय पहल करके राज्य सरकार ने एक असाधारण परिवर्तन की शुरूआत की है। उत्तर प्रदेश ने जुड़वा नगरों नॉयडा तथा ग्रेटर नॉयडा को अग्रणी सॉफ्टवेयर तथा स्टार्ट–अप हब्स के रूप में विकसित किया है। विकास के लाभ का विस्तार एक औचित्यपूर्ण तथा संतुलित रूप में होने से, चहुँमुखी विकासात्मक कार्यो का सर्वाधिक लाभ सोपान–2 एवं सोपान–3 के नगरों को प्राप्त होगा। एक अत्याध**ुनिक आईटी सिटी की स्थापना पी.पी.पी. मॉडल पर लखनऊ में** की जा रही है। पुनः **आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इत्यादि जैसे नगरों में आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है।**

नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लक्ष्य तथा उत्तर प्रदेश में युवाओं को **''रोजगार आकॉक्षी''** के बजाय **''रोजगार प्रदाता''** बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशंसनीय प्रयास किये गये हैं। केवल उत्तर प्रदेश के स्टार्ट–अप्स के लिए वित्तीय पहुँच सुगम बनाने के लिए रू 1000 करोड़ से **उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप फण्ड** की स्थापना की जा रही है। स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों तथा नव–प्रवर्तकों के लिए आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी.–बी.एच.यू., आई.आई.एम. लखनऊ (नॉयडा) तथा कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर जैसे अग्रणी संस्थानों में इन्क्यूबेटर्स विकसित किये गये हैं। भारत में स्टार्ट–अप कॉति को उत्प्रेरित करने के लिए **देश के विशालतम इन्क्यूबेटर** की स्थापना उत्तर प्रदेश में किए जाने की परिकल्पना की गई है।

डिजिटल इण्डिया की परिकल्पना के अनुरूप, जन सामान्य केन्द्रित सभी शासकीय सेवाओं की ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत सिंगिल विन्डो व्यवस्था आरम्भ करके राज्य सरकार ने **गवर्नेन्स और सर्विस–डिलीवरी के क्षेत्र में ऊँची छलॉग** लगाई है। 60,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा नागरिकों को जी2सी / बी2सी सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कय–प्रकिया में डिजिटल पारदर्शिता पर दृढ़ रहते हुए, परिपाटी से हट कर, समस्त शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है। भारत नेट कार्यकम के

अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामों को 2018 तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल से जोड़ दिया जायेगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के द्वारा व्यवसाय मित्रवत् वातावरण का सृजन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग बन्धु में सिंगिल विन्डो तंत्र स्थापित किया गया है। पुनः निवेशकों, उद्यमियों तथा स्टार्ट–अप्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. में एक नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की गई है। सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक कन्सल्टेण्ट – के.पी.एम.जी. को नीति कार्यान्वियन इकाई में सहयोगी बनाया गया है।

परिकल्पना, लक्ष्य एवं उद्देश्य

परिकल्पना

''रोजगार सृजन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, नवप्रवर्तन तथा उत्कृष्ट जीवन शैली के प्रति ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना।''

लक्ष्य

राज्य का लक्ष्य है :

- उत्तर प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के क्षेत्र में भारत के अग्रणी निवेश गन्तव्य (investment destination) के रूप में स्थापित करना।
- निवेशकों, उद्यमियों तथा स्टार्ट–अप्स की संवृद्धि हेतु एक अनुकूल वातावरण का सृजन।
- रोजगार अवसरों को उत्पन्न करना तथा उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में औचित्यपूर्ण तथा संतुलित रूप में विकास

उद्देश्य

- अनुकूल, व्यवसाय मित्रवत् पहल तथा प्रगतिशील सुधारों द्वारा उत्तर प्रदेश में आकर्षक व्यवसायिक परिवेश का विकास एवं प्रोत्साहन
- मानव संसाधन का विकास को प्रोत्साहन तथा आईटी सिटी/आईटी पार्क्स, सूचना प्रौद्योगिकी–बी.पी.एम. इकाइयों के द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
- स्टार्ट–अप्स, इन्क्यूबेटर्स, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को प्रोत्साहन देकर उद्यमिता तथा नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन तथा पोषण प्रदान करना।
- समाज के सभी वर्गों के हितार्थ, नागरिक केन्द्रित सेवाओं के सृजन द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण।

विभाग की महत्वाकॉक्षी योजनायें

मुख्यमंत्री हेल्पलाइनः मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नागरिकों की चिन्ताओं, मुद्दों तथा शिकायतों को यथा–सम्भव कम से कम समय में दूर करने के लिए उन तक पहुँच बनाने का एक प्रयास है। पुनः हेल्पलाइन प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

ई–टेण्डरिंगः सभी विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करके क्रय–प्रकिया को पूर्णतया पारदर्शी बना दिया गया है। यह सुधार, शासन और निजी क्षेत्र के लिए निष्पक्षता, जवाबदेही और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करेगा।

आईटी सिटीः लखनऊ में 100 एकड़ भू–क्षेत्र पर एक अत्याधुनिक आईटी सिटी स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रू 1500 करोड़ का निवेश अनुमान तथा 75,000 व्यक्तियों को रोजगार का लक्ष्य है। यह 'वॉक–टू–वर्क' मॉडल पर आधारित है। कुल भूमि का 60 प्रतिशत कोर क्षेत्र के कार्यकलापों तथा 40 प्रतिशत नॉन–कोर क्षेत्र के कार्यकलापों हेतु निर्दिष्ट है।

आईटी पार्क्सः सोपान–2 तथा सोपान–3 के नगरों में रोजगार–साधनों को बढ़ावा देने के लिए आगरा, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा बरेली में आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। राज्य के सूचना–प्रौद्योगिकी निर्यात की वृद्धि में भी इनका उल्लेखनीय योगदान होता है। उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क्स के प्रोत्साहन हेतु पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

इन्क्यूबेटर्सः युवाओं में नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता उत्पन्न करने के लिए इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी.–बी.एच.यू., आई.आई.एम. लखनऊ (नॉयडा) तथा कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर जैसे अग्रणी संस्थानों का सहयोग लिया गया है। देश का विशालतम इन्क्यूबेटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

नागरिक सेवा डिलीवरी : ई–सेवाओं की व्यवस्था को इंटरनेट तथा जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, ई–सुविधा आदि जैसे कॉमन सर्विस डिलीवरी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान किया जा रहा है।

मिशन मोड परियोजनाएँ: उत्तर प्रदेश शासन मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) जैसेकि ई–डिस्ट्रिक्ट, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS), तथा पंचायती राज, वाणिज्य कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अन्य विभागों की परियोजनायें सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं।

भारतनेट: भारतनेट तथा नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) फ्रेमवर्क पर बल देते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में संचार एवं संयोजकता में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार सक्रिय भूमिका में है। यूपीस्वान (UPSWAN) संयोजकता का भारतनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक विस्तार किया जायेगा

राज्य डाटा केन्द्र (State Data Centre) **2.0 :** आई.एस.ओ. 27001 यूपी–एसडीसी (स्टेट डेटा सेंटर) को केंद्रीय डेटा कोष के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे राज्य के समस्त विभाग पब्लिक डोमेन सूचनाओं के 24X7 के, पूर्ण क्षमता से उपयोग के लिए जुड़े हैं। राज्य द्वारा एक केंद्रीकृत हरित डेटा सेंटर (एसडीसी 2.0) विकसित करने की योजना है जो क्लाउड रेडी होगा तथा "पे ऐज पर यूज" मॉडल पर आधारित होगी।

ई–आफिस: परिचालनात्मक निपुणता में सुधार, प्रतिवर्तन काल में कमी, पारदर्शिता तथा शासकीय विभागों की जवाबदेही में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों में ई–आफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स: सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स/स्टेट ई–मिशन टीम प्रदेश में आई.टी/ई–गवर्नेन्स पहल को लागू करने हेतु केन्द्रीय निकाय है। सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स/स्टेट ई–मिशन टीम द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की परिकल्पना के अनुरूप नई पहल आरम्भ की जायेगी।

इण्डिया बी.पी.ओ योजना: सरकार द्वारा इण्डिया बी.पी.ओ. योजना के अन्तर्गत बी.पी.ओ. की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बी.पी.ओ. की स्थापना के लिए अतिरिक्त पूँजी उपादान सहायता तथा प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

एम–गवर्नेन्स: सरकार द्वारा मोबाइल आधारित एप्लीकेशन्स तथा नागरिक सेवाओं के माध्यम से सभी शासकीय सेवाओं हेतु एम–गवर्नेन्स को प्रोत्साहन दिया जायेगा। शासकीय विभागों द्वारा विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन्स यथा एम–सेहत, एम–स्वास्थ्य, यूपीवन, यूपी–बस इत्यादि, विकसित और कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

वाई–फाई : राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश के निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों, व्यावसायिक केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से वाई–फाई समर्थ बनाया जाना सुनिश्चित करेगी।

साइबर सिक्योरिटी : साइबर आक्रमण तथा साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि इन चुनौतियों का मुकाबले के लिए उपयुक्त उपाय किये जायें। प्रदेश सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी तथा एक साइबर सिक्योरिटी प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। सरकारी प्रयासों को सुदृढता देने के लिए एक समर्पित साइबर सिक्योरिटी नीति बनाई जायेगी।

डिजिटल पेमेन्ट : भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेन्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में

आई.टी. रेडीनेस, पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा क्षमता विस्तार जैसे सुधार किये जा रहे हैं जिससे कि प्रदेश में 312 करोड़ डिजिटल ट्रॉजेक्शन्स का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगेः–

1 वित्तीय प्रोत्साहन

1.1 ब्याज उपादान

- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।

1.2 स्टाम्प शुल्क

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के उपयोगार्थ भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने पर स्टाम्प शुल्क फीस में इस प्रतिबन्ध सहित शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी कि 3 वर्षो के भीतर परिचालन प्रारम्भ हो जाये।

1.3 विद्युत शुल्क में छूट

- नई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाईयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि तक, विद्युत ड्यूटी से शत प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

1.4 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

- राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों द्वारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर, सुरक्षा के लिए आई. एस.ओ. 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आई.एस.ओ. 2000, सी.ओ.पी.सी., ई.एस.सी.एम. प्रमाणन में से अधिकतम 3 सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रू 25,00,000/–, अनुमन्य होगी। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इसी प्रकार के प्रमाणन को समय–समय पर अनुमन्यता के लिए सम्मिलित किया जायेगा।

1.5 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

- परिचालन आरम्भ होने के पश्चात, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 5

वर्षों तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा रू 20 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

1.6 रिक्रूटमेंट सहायता

- सोपान–2 (Tier-II) और सोपान–3 (Tier-III) नगरों में अवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से न्यूनतम 50 नये सूचना प्रौद्योगिकी–बी.पी.एम. पेशेवरों की वार्षिक भरती हेतु रू 20,000 प्रति कर्मी की दर से (न्यूनतम 6 माह तक निरन्तर रोजगार की दशा में) रिक्रूटमेंट सहायता

1.7 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

- शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए,घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

2 अन्य प्रोत्साहन

2.1 भूमि हेतु प्राविधान

- प्रति एकड़ भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रू 15,000/– की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (reimbursement) की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक है। यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों (State agencies) से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेकटर दरों पर प्रदान की जायेगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।

- फ्लोर एरिया रेशियो (FAR): आईटी सिटी और आईटी पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा/ बी.पी.एम. इकाइयों को न्यूनतम फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) तीन तथा अतिरिक्त एक (क्रय करने योग्य, बिल्डिंग बाई लाज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) पर किया जाना अनुमन्य होगा।

- ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बी0पी0ओ0 इकाईयां जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भूमि–उपयोग वर्गीकरण **(Land use classification)** के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टी तथा कृषि भू–उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी ।

3 केस–टू–केस आधारित प्रोत्साहन (Incentives on Case to Case basis)

- **'रेडी टू मूव इन' सुविधा** को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान–2 व सोपान–3 के नगरों में 05 एकड़ के क्षेत्र से अधिक को आईटी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए विकासकर्ता को केस–टू–केस आधार पर प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

- **सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा मेगा निवेश** हेतु ब्याज उपादान, स्टैम्प ड्यूटी में छूट, भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण उपादान, भूमि लागत की प्रतिपूर्ति इत्यादि के रूप में केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा। वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति उपरान्त मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकता है।

- मेगा परियोजनाओं हेतु केस–टू–केस आधार पर निम्नानुसार अनुमन्य होगेः–

पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक		
श्रेणी	**सोपान–1**	**सोपान–2 व 3**
मेगा इकाई	रु 100 से रु 200 करोड़ का निवेश अथवा 2500 व्यक्तियों को रोजगार	रु 50 से रु 100 करोड़ का निवेश अथवा 1000 व्यक्तियों को रोजगार
मेगा प्लस इकाई	रु 200 करोड़ से अधिक का निवेश अथवा 5000 व्यक्तियों को रोजगार	रु 100 करोड़ से अधिक का निवेश अथवा 2000 व्यक्तियों को रोजगार

4 गैर वित्तीय प्रोत्साहन

- 25 केवीए से कम क्षमता के विद्युत जनरेटर सेट्स, सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग के उपयोगार्थ, उ0प्र0 प्रदूषण नियॅत्रण अधिनियम की परिधि से मुक्त होंगे।

- विशिष्ट शिकायतों की स्थिति में किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने पर 05 वर्ष के अन्दर एक बार निरीक्षण करने का प्राविधान किया गया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों द्वारा निर्धारित प्रारूपों (जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जा सकता है) पर, जो भी लागू हो स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगीः–

I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
III. दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)
IV. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम {The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)}
V पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)
VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)
VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम {The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act}

4.1 24 X 7 परिचालन

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे – (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी तीन पालियों मे महिलाओं को कार्य करने की अनुमति होगी।

4.2 औद्योगिक टैरिफ की अनुमन्यता

- सभी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों पर औद्योगिक पावर टैरिफ अनुमन्य होंगे।

5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन (Additional Incentives available to MSME IT/ITeS Units)

5.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रू 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/ रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5.2 विद्युत उपादान

- एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयॉ, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा रू 30 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

6 बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन

उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयॉ निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगीः–

6.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- बुन्देलखण्ड/पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओं. इकाइयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि रू 20 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज रेन्टल चार्जेस की 50 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

6.2 विद्युत उपादान

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयॉ व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत उपादान जिसकी अधिकतम सीमा रू 50 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

6.3 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रोमोशन स्कीम

- राज्य सरकार द्वारा बी.पी.ओ. इकाइयों को इण्डिया बी.पी.ओ. प्रोमोशन योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक सीट हेतु निहित पूँजीगत व्यय पर, 50 प्रतिशत पूँजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

7 डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ परिवेश के निर्माण हेतु प्रत्येक वर्ष ''डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन'' आयोजित किया जायेगा। यह आयोजन प्रदेश में डिजिटल ईकोसिस्टम के निर्माण हेतु विभिन्न हितधारकों के मध्य संवाद, विचार–विमर्श तथा सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश स्थित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उ0प्र0 सरकार द्वारा डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

8 पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाईयों को नोडल संस्थान द्वारा पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगे। उक्त प्रमाण पत्र नोडल संस्थान/नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा परीक्षणोंपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि इकाईयों को नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन शीघ्र मिल सके।

स्टार्ट–अप्स के लिए प्रोत्साहन

स्टार्ट–अप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

8 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट–अप संस्कृति तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु "स्टार्ट–इन उत्तर प्रदेश (START-IN-UP)"

राज्य सरकार द्वारा INFUSE model (INcubators – FUnd of Funds – Startup Entrepreneurs) मॉडल का उपयोग करते हुए स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा। सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट–अप्स तथा वेन्चर कैपिटल फण्डिंग स्टार्ट–अप को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

IN - इन्क्यूबेटर्स

8.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन

- राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेटर की परिकल्पना सहित, इन्क्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर का विकास प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाना परिलक्षित है।
- उत्तर प्रदेश में शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन–प्राफिट संगठनों/कारपोरेट्स/उद्योग संघों जैसे मेजबान (Host) संस्थानों में अथवा पी.पी.पी. माध्यम से इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- मेजबान संस्थानों का चयन यथोचित पड़ताल के पश्चात, केस–टू–केस आधार पर किया जायेगा।

इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों की स्थापना हेतु निम्न प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है:–

- **पूँजीगत उपादान** :शासकीय मेजबान संस्थानों की स्थिति में टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट–अप के 75 प्रतिशत की सीमा तक तथा अन्य मेजबान संस्थानों की स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा तक पूँजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम धनराशि रू 1 करोड़ होगी। यही सीमा विद्यमान इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को क्षमता विस्तार की स्थिति में उनके सुदृढ़ीकरण हेतु लागू होगी। यदि उपादान धनराशि में वृद्धि की आवश्यकता हो तो उस पर सशक्त समिति द्वारा केस–टू–केस आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

- **परिचालन व्यय** : इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रू 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

- **स्थान के लीज/रेन्टल में छूट** : इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक जिस स्थान पर परिचालन–रत हों उसके लीज/रेन्टल शुल्क के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जिसकी सीमा रू 10 लाख प्रति वर्ष होगी, 5 वर्ष अथवा स्व–निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- **अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति**: इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक, भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने हेतु, प्रथम ट्रॉजेक्शन पर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

- **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति** : पात्र इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

- **मेन्टर्स के लिए मानदेय :** इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक से सम्बद्ध, प्रति परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) रू 2 लाख मानदेय प्रदान किया जायेगा। यह सहायता कोचिंग, पथ–प्रदर्शन, यात्राओं, अस्थायी–आवास इत्यादि व्ययों के निमित्त होगी। इसके अतिरिक्त कोच (Coach) का भी चयन किया जायेगा जो कि स्थानीय परितंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो।

- **विशेषज्ञों का पैनल :** एक विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्व किया जायेगा जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि विधिक, वित्तीय, निवेशक, विपणन एवं लेखा इत्यादि से होगे। इनके द्वारा दी गयी सेवायें स्टार्ट–अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

उत्कृष्टता के केन्द्र

8.2 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन

- राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centers of Excellence) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। उत्कृष्टता के केन्द्र **शोध एवं अनुसंधान के अनुकरणीय मानदण्डों तथा इन्क्यूबेशन के अनुभव से युक्त, एवं परिपक्व होंगे तथा उद्यमिता के पोषण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को** प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

- उत्कृष्टता के केन्द्रों द्वारा केन्द्र–बिन्दु के क्षेत्रों (focus areas) जैसेकि बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, इन्टरनेट से जुड़े कार्यो, मशीन–लर्निंग, कृत्रिम बुद्विमता (Artificial Intelligence), साइबर सिक्योरिटी, क्लीन–टेक, एजू–टेक, एग्री–टेक, हेल्थ–टेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व वाले अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

- उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन–प्राफिट संगठनों/कारपोरेट्स/उद्योग संघों जैसे मेजबान संस्थानों में अथवा पी.पी.पी. माध्यम से की जा सकती है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उत्कृष्टता के केन्द्र को अधिकतम 5 वर्ष तक अधिकतम रु 10 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है) प्रदान की जायेगी। प्रत्याशा है कि 5 वर्ष की समाप्ति तक उत्कृष्टता का केन्द्र स्व–निर्भर हो जायेगा।
- उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदन पर निर्णय सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा। सरकार द्वारा धनराशि/प्रोत्साहनों का अवमुक्त किया जाना उनके कार्य–प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

FU – फण्ड ऑफ फण्ड्स

8.3 स्टार्ट–अप्स को वित्तीय संसाधन

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू 1000 करोड़ के स्टार्ट–अप फण्ड की स्थापना द्वारा, स्टार्ट–अप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जायेगी।

- यह निधि फण्ड ऑफ फण्ड के रूप में होगी, इस मॉडल के अन्तर्गत निधि का निवेश स्टार्ट–अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा सेबी से अनुमोदित निवेश में प्रतिभाग किया जायेगा।

- विकल्प स्वरूप, निधि का निवेश स्टार्ट–अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा "डॉटर फण्ड्स" (Daughter Funds) में किया जायेगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अभिनव योजनाओं/विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट–अप्स में निवेश किया जायेगा।

- सीमित–साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में 25 प्रतिशत तक, अल्प सहभागिता की जायेगी।

- फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट–अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

SE – स्टार्ट–अप उद्यमी

8.4 स्टार्ट–अप्स तथा उद्यमियों हेतु प्रोत्साहन

स्टार्ट–अप्स की परिभाषा

निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति करने वाली किसी संस्था (entity) को स्टार्ट–अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगाः–

- संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो
- स्टार्ट–अप्स को पारिभाषित करते हुए समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (ई) दिनॉक 23 मई 2017 में **भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा** के नियमों एवं शर्तों को संस्था (entity) पूरा करती हो।

टिप्पणीः कोई अन्य शर्त, जैसाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये।

स्टार्ट–अप्स का कार्य–क्षेत्र

स्टार्ट–अप्स को सभी क्षेत्रों (sectors) यथा (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट से जुड़े कार्य, 3डी प्रिंटिंग, बिग डाटा इत्यादि) में कार्य करने की छूट होगी तथा उन्हें प्रौद्योगिकी से समर्थित होना आवश्यक है।

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करने वाले तथा उत्तर प्रदेश में अवस्थित इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों में कार्यरत स्टार्ट–अप्स, निम्नलिखित प्रोत्साहन के पात्र होंगेः–

- **परिकल्पना स्तर** (Idea Stage)**:** परिकल्पना स्तर पर स्टार्ट–अप्स को एक वर्ष की अवधि तक रू 15,000/– प्रतिमाह का भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा।

- **प्रायोगिक स्तर** (Pilot Stage)**:** स्टार्ट–अप्स को रू 10 लाख की सीमा तक की सहायता, विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता के रूप में उनके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए प्रदान की जायेगी।

- **पेटेन्ट फाइलिंग लागत** (Patent Filing cost)**:** इन्क्यूबेट हुई स्टार्ट–अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 2,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

8.5 स्टार्ट–अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स हेतु गैर–वित्तीय प्रोत्साहन

- विशिष्ट शिकायतों की स्थिति में किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर प्रदेश स्थित स्टार्ट–अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स को निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों (समय–समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने पर 03 वर्ष तक निरीक्षण से छूट का प्राविधान किया गया है तथा उन्हें निर्धारित प्रारूपों पर, जो भी लागू हो स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगीः–
  - I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
  - II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)

III. दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)

IV संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम {The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)}

V पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)

VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)

VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम {The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act}

- स्टार्ट–अप्स को **महिलाओं सहित, सभी तीन पालियों** मे कार्य करने की इस प्रतिबन्ध सहित अनुमति होगी कि ऐसी इकाइयों द्वारा, लागू विधान के अन्तर्गत कल्याणकारी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ–साथ, कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्धारित सावधानी रखी जाये तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

8.6 उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप मेला तथा उत्तर प्रदेश आविष्कार पुरस्कार

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक त्रैमास स्टार्ट–अप मेला आयोजित किये जायेंगे, जिसमें राज्य सरकार/विभागों/अभिकरणों/संगठनों इत्यादि द्वारा इंगित कठिनाइयों (दिन–प्रतिदिन आधार पर आने वाली चुनौतियों) के अभिनव समाधान सुझाने हेतु स्टार्ट–अप्स को आमंत्रित किया जायेगा।

- स्टार्ट–अप मेलों के आयोजन का ध्येय छात्रों और उद्यमियों को देश और प्रदेश की विकास प्रकिया में सम्मिलित किया जाना है। पुनः इसका उद्देश्य उनमें उद्यमिता की भावना को प्रज्वलित और उसका पोषण करना है।

- चयनित स्टार्ट–अप्स को **उत्तर प्रदेश आविष्कार पुरस्कार** दिये जायेंगे, साथ ही सम्बन्धित विभाग में, उनके समाधानों के समय–बद्ध रूप से कियान्वयन हेतु अधिकतम रू 50 लाख तक का वित्तपोषण किया जायेगा।

- चयनित स्टार्ट–अप के कार्य–सम्पादन का अनुश्रवण एवं आकलन राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों/संगठनों द्वारा नियमित आधार पर किया जायेगा।
- चयनित स्टार्ट–अप्स, उ0प्र0 स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सहायतित इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों में 2 वर्ष तक निःशुल्क इन्क्यूबेशन सहायता प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

8.7 अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग

- स्टार्ट–अप वातावरण के सृजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट–अप चैलेन्जेस, हैकथॉन्स, बूट कैम्पस, कार्यशालाओं, बिजनेस प्लान स्पर्द्धाओं, सभाओं/सम्मेलनों का आयोजन एवॅ उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभागिता द्वारा तथा ऐसे आयोजनों में स्थानीय स्टार्ट–अप्स को प्रायोजित करके तथा अन्य विभिन्न साधनों से उत्तर प्रदेश को उद्यमी–मित्रवत् गन्तव्य के रूप में प्रवर्तित किया जायेगा।

- ऐसे मंचों पर प्रतिभाग/आयोजन हेतु शासन द्वारा प्रति इकाई अधिकतम रू 50,000/– की प्रायोजन–सहायता प्रदान की जायेगी।

- पुनः स्टार्ट– अप्स उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों के सामान्य स्थानों जैसेकि सभा–कक्ष, बैठक–कक्ष, शोध एवं विकास सुविधाओं के अधिकारी होंगे। इसको बढ़ावा देने के लिये स्टार्ट–अप्स स्मार्ट कार्ड निर्गत किये जायेगे।

टिप्पणीः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 स्टार्ट–अप नीति को केन्द्रीय सरकार के अनुरूप रखने के लिए समय–समय पर संशोधन अंगीकृत एवं अधिसूचित किये जायेंगे।

8 नीति कार्यान्वयन इकाई

- अपर मुख्य **सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) गठित की जायेगी।** नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के प्रभावी और सफल कियान्वयन जैसेकि स्टार्ट–अप्स, इन्क्यूबेटर्स, वेन्चर कैपिटलिस्ट्स, स्टार्ट–अप कॉर्पस फण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के बारे में निर्णय लिये जायेंगे। नीति कार्यान्वयन इकाई उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों/ इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों को प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने हेतु संस्तुति एवं अनुमोदन प्रदान किये जायेंगे। उनकी शिकायतों का सामयिक निराकरण तथा आवश्यक मार्गदशन एवं सहयोग भी प्रदान किया जायेगा। शिकायत का समाधान यदि नीति कार्यान्वन इकाई के स्तर पर नही हो पाता तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- नीति कार्यान्वयन इकाई में बाहर से लिये गये परामर्शी (Consultants on outsourcing basis) होंगे जो 5 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट–अप नीति के कार्यान्वयन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई समिति तथा सशक्त समिति (Empowered Committee) को गतिविधियों के अनुश्रवण एवं उनकी जानकारी देने में सहायता करेंगे। पी.आई.यू. के अन्य प्राथमिक उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत सम्भावित निवेशकों को सहयोग/सहायता, शासकीय प्राधिकारियों से समन्वयन (Liaison), उद्योगों तथा उद्योग–संघों, उद्यमियों एवं स्टार्ट–अप्स से सम्बद्धता (Engagement with Industries and Industry Associations, Entrepreneurs and

Start-ups) तथा नीति की ब्रॉण्डिंग एवं विपणन (Branding and Marketing of Policy) सम्मिलित है।

टिप्पणीःसूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों, स्टार्ट–अप्स, इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों को प्रोत्साहन देने तथा प्रदेश में मेजबान संस्थानों को उत्साहित करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी कार्यदायी संस्था नामित की जायेगी जोकि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था होगी।

9 सशक्त समिति (Empowered Committee)

- **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति** उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति की प्रगति पर दृष्टि रखेगी और उसका अनुश्रवण करेगी। इस समिति में अन्य सहित कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, नियोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, परिवहन, राजस्व एवं आवास एवं नगर विकास तथा अन्य विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।

- सशक्त समिति द्वारा केस–टू–केस आधार पर निवेश हेतु अनुमोदन, आईटी सिटी/ आईटी पार्क्स/मेगा निवेश/इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों के विकास, अन्तर्विभागीय समन्वय की स्थापना, फण्ड ऑफ फण्ड्स की स्थापना तथा निवेशकों, स्टार्ट–अप्स इत्यादि की शिकायतों पर विचार कर संस्तुति/निर्णय दिया जायेगा।

- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति से शिथिल किया जा सकेगा।

नीति की अवधि

यह नीति उसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष के लिए वैध है तथा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2012 तथा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2016 सहित पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों को अवक्रमित करती है।

शब्दावली (Glossary)

1. "**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयॉ/ कम्पनियॉ इत्यादि। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से आशय है बी0पी0ओ0/के0पी0ओ0/ परामर्श/ 'एनीमेशन (animation)', कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence), 'गेमिंग (gaming)' तथा ज्ञान–आधारित अन्य औद्योगिक इकाइयॉ (knowledge industry Units)।

2. **सॉफ्टवेयर सेवाओं में निहित है :–**

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
- प्रचालन विधि – Operating System
- 'मिडिलवेयर' / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
- उक्त सॉफ्टवेयर में किसी अवयव (component) स्तरीय विकास
- इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- प्रणाली एकीकरण कार्य (System Integration work)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवॅ SCM कार्य
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

3. **'सूचना प्रौद्योगिकी'** – इनका आशय उस सेवा से है जो सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में मिलती हैं और उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान हो जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:–

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
- ई–कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरफेस (EDI) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी–सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

4. **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक–आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल–सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:–

- बिजनेस प्रोसेस प्रबन्धन (Business Process Management)

- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई–मेल, हेल्प–डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम से प्रदत्त सेवायें)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation), नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः–
    - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
    - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
    - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
    - एम0आर0एम0 – (Marekting Resources Management)
    - तकनीकी सहायता (Technical Support)
    - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
    - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
    - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)

5. **नगरों का वर्गीकरण** (Classification):–

सोपान –1 (Tier I) : नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा

सोपान –2 (Tier II): यथा लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर विशेषतया यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र सहित
सोपान –3 (Tier III) : 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर

6. **एम.एस.एम.ई.** (MSME) ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयॉं जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र कम्पनियों की प्रकृति ऐसी है कि इसमें अन्य क्षेत्रों की तुलना में निवेश कम होता है। अतः भारत सरकार की एम.एस.एम.ई. परिभाषा से इसमें परिवर्तन है, जिससेकि कम्पनी का स्तर उसके राजस्व से निर्धारित किया जा सके।

7. **सरकारी अभिकरण** (State Agencies)

- विकास प्राधिकरण (Development Agencies)
- आवास परिषद (Housing Boards)
- लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण - LIDA (Lucknow Industrial Development Authority)
- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC)
- सरकार द्वारा अधिसूचित (notified) राज्य के अन्य अभिकरण

8. **स्टार्ट–अप** (Start-Up)

स्टार्ट–अप्स को पारिभाषित करते हुए समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (ई) दिनॉक 23 मई 2017 में **भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा** के नियमों एवं शर्तों को पूरा करने वाली संस्था (entity) को स्टार्ट–अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

शर्तें निम्नवत् हैं :–

(क) यदि वह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित हुई हो (जैसाकि कम्पनी अधिनियम 2013 में पारिभाषित है) अथवा एक साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अन्तर्गत पंजीकृत) अथवा एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 के अन्तर्गत) के रूप में भारत में पंजीकृत हो, तथा

(ख) अपने निगमन/पंजीयन की तिथि से सात वर्षों तक, तथापि बायो–टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्टार्ट–अप्स निगमन/पंजीयन की तिथि से 10 वर्षों तक होना चाहिए, तथा

(ग) यदि अपने निगमन/पंजीयन की तिथि से किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका व्यवसाय रू 25 करोड़ से अधिक न हुआ हो, तथा

(घ) यदि वह किसी नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद अथवा प्रक्रिया अथवा सेवा में सुधार के क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा वह उच्च रोजगार सृजन अथवा धन सृजन की सम्भावनाओं से युक्त, विस्तार के योग्य व्यवसाय का मॉडल हो।

प्रतिबन्ध यह है कि पहले से ही विद्यमान किसी व्यवसाय के विखण्डन अथवा पुर्नसंरचना के फलस्वरूप निर्मित ऐसी संस्था (entity) को 'स्टार्ट–अप' के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(च) स्टार्ट–अप उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो।

9. **इन्क्यूबेटर्स** (Incubators) : इन्क्यूबेटर्स (नवउद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र) स्टार्ट–अप्स को प्लग एण्ड प्ले सुविधायें, बैठक / सभाकक्ष / कार्यालय स्थान तथा साझा प्रशासनिक सेवायें, उच्च गति इन्टरनेट सुविधा इत्यादि प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इन्क्यूबेटर्स मेन्टर्स, प्रशिक्षण, वित्तपोषण, विधिक सेवायें, लेखा सेवायें, तकनीकी सहायता, उच्चतर शैक्षणिक संसाधन इत्यादि जैसी यथासम्भव सेवायें राज्य / केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्टार्ट–अप्स को उपलब्ध करायेंगे।

10. **आईटी सिटी :** आईटी सिटी हेतु 100 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग 60 : 40 के अनुपात में प्रोसेसिंग तथा नॉन–प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। प्रोसेसिंग क्षेत्र में केवल सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयॉ जैसेकि सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियॉ, बी.पी.ओ., के.पी.ओ. इत्यादि होती है। नॉन–प्रोसेसिंग क्षेत्र आवासीय सुविधाओं, जनोपयोगी कार्यालयों / सुविधाओं / वाणिज्यिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षण तथा मुक्ताकाशी रूप में होता है।

11. **आईटी पार्क :** आईटी पार्क का निर्माण न्यूनतम लगभग 15000 वर्गमीटर फ्लोर सहित किया जाता है। इसमें जनोपयोगी कार्यालयों / सुविधाओं का होना आवश्यक नहीं है। आवंटन योग्य कुल क्षेत्र का 75 प्रतिशत क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए होता है। आईटी पार्क की अधिकॉश सुविधायें जैसेकि आप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी, वाई–फाई सम्पर्क, वीडियो कान्फ्रेंसिंग इत्यादि आईटी सिटी की भॉति ही होती हैं। आईटी पार्क आईटी सिटी का ही लघु स्वरूप है, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए समर्पित होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

इनके साथ

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में

पता 10–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

दूरभाष नॅ0 : 0522–2286808, 2286809, 2286812

ई–मेलः info@itpolicyup.gov.in

वेबसाइट : itpolicyup.gov.in

ध्यानकर्षणः

यह Uttar Pradesh Information Technology & Start-up Policy 2017 के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रुपान्तरण है। अतएव विषय–वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति मे अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय–वस्तु ही मान्य होगी।